

8/5/18 को पेश है (12)

~~रजस्व~~
(अग्रणी) (38)

5/78 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश करने हेतु चिन्हित की गई। सम्बन्धित पक्षकारान को लोक अदालत में उप० होने बाबत नोटिस जारी कर एवं वकील पक्षकारान को सूचित कर पत्रावली कैम्प..... में दिनांक..... 8/5/18..... को पेश हो।

8/5/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प गद्दी में पेश हुई। इस प्रावपत्र से सम्बन्धित मूलवाद खारिज है-युक्त है। इस प्रावपत्र को उल्टे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रावपत्र शर् R.T. Act इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा है। मिश्राल कैम्पल शुभम हेक्टर नम्बर से कम की जापुर बाद तृतीया दायित्व दफ्तार है।

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागार्जी (अलवर) राज०